विचार बिन्दु

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। –हरिवंश राय बच्चन

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस- जितना बताया उससे कहीं अधिक छिपाया

बिहार में चल रहे एस आई आर यानी 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को दिए गए अंतरिम आदेश के बाद जब चुनाव आयोग द्वारा यह घोषणा की गई कि वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अगस्त को 3:00 बजे करेंगे तो पूरे देशवासी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें आशा थी कि देशवासियों, विशेष कर बिहार वासियों के मन में जो भ्रम और आशंकाएं उत्पन्न हो रही थीं, उनका समाधान इस प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से हो जाएगा । ऐसे कई प्रश्न थे जो सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा भी सुनवाई के दौरान पूछे गए थे । राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग की एस आई आर से संबंधित निर्णय और कार्यप्रणाली के बारे में अनेक आपत्तियां की जा रही थीं। इस संबंध में 11 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थीं।

सबको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अत्यधिक निराशा हुई । इस निराशा का कारण यह है कि किसी भी प्रश्न का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया। कुछ पत्रकारों द्वारा बड़े स्पष्ट सीधे प्रश्न पूछे गए किंतु उनके उत्तर देने के बजाय उन्हें तकनीकी नियमों के मकड़ जाल में फंसा कर वही कहा जो वे तय करके आए थे। 83 मिनिट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी लगभग सभी प्रश्न वैसे के वैसे खड़े हैं। यह वैसा ही था जैसे परीक्षा में प्रश्न कुछ भी पूछे जाएं किंतु उत्तर वही दिया जाता है जो विद्यार्थी रट कर आए होते हैं।

हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि वे कौन से प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। संभव है, विपक्षी राजनीतिक दलों को ऐसी ही अपेक्षा थी। इसीलिए, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा को प्रारंभ करने का अपना कार्यक्रम नहीं बदला और उसे दिनांक 17 अगस्त से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभ कर दिया।

सबसे पहला प्रश्न जो अब तक भी उसी तरह बना हुआ है वह यह कि 2003 की एस आई आर के समय चुनाव आयोग द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए थे? मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि क्या उस समय सबसे गणना प्रपत्र भरवाए गए थे और उनसे क्या दस्तावेज मांगे गए थे ? चुनाव आयोग द्वारा उस समय जो दिशा निर्देश या विज्ञप्ति जारी की गई होगी, उसकी प्रति न तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह उपलब्ध कराई गई है ।यह उल्लेखनीय है कि सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश ने भी पूछा कि 2003 में चुनाव आयोग द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किए गए थे? इसका कोई उत्तर न तो न्यायालय में दिया गया, न ही प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दिया गया। वास्तविकता तो यह है कि उस समय सबसे प्रपत्र भरवाए ही नहीं गए थे और न उनसे कोई दस्तावेज मांगे गए थे। अतः ज्ञानेश कुमार का यह कहना कि एस आई आर पहले कई बार हो चुका है, कोई मायने नहीं रखता।

इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिला कि चुनाव आयोग द्वारा इन 11 दस्तावेजों के आधार पर किसी को भारतीय कैसे मान लिया गया, जबकि आधार और वोटर आईडी कार्ड को मतदाता होने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा है?। क्या इसके लिए गृह मंत्रालय ने कोई आदेश जारी किया है कि इन 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज होने पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी? वास्तविकता यह है कि देश में रहने वाले व्यक्ति को केवल यह घोषणा मात्र करनी होती है कि वह भारतीय नागरिक है। हां, 'आधार' अवश्य मांगा जाता है जिसे एस आई आर में वैध दस्तावेज नहीं माना गया है। जब चुनाव आयोग मतदाताओं से 11 में से एक दस्तावेज भारतीय होने के प्रमाण के रूप में मांग रहा है तो उसे यह तो स्पष्ट करना ही चाहिए कि क्या भूमि का रिकॉर्ड होने या दसवीं का सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज होने से कोई भी भारतीय सिद्ध हो जाएगा ? 11 दस्तावेजों को मान्यता देना और 'आधार' को मान्यता न देने का कोई औचित्य प्रेस कांफ्रेंस में भी नहीं बताया गया। चुनाव आयोग का यह कहना कि 'आधार' कई लोगों ने फर्जी बनवा रखे हैं, तो यही तर्क चाहे गए 11 डॉक्यूमेंट पर भी लागू हो सकता है।

क्या चुनाव आयोग यह गारंटी दे सकता है कि जिस व्यक्ति का नाम एस आई आर के बाद मतदाता सूची में आ जाएगा, उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा? सरकार को भी स्पष्ट करना होगा कि क्या जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, उसे भारत का नागरिक नहीं मानते हुए उसे भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा? राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे विरोध का एक कारण उनकी यह आशंका है कि पहले तो लोगों का नाम निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और बाद में इसी आधार पर उन्हें अन्य सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।

चुनाव आयोग ने एस आई आर का उद्देश्य मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करना बताया है। यदि किसी का नाम एक से अधिक मतदाता सूची में अंकित है तब भी वह मतदान तो एक ही स्थान पर कर पाएगा, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया, जो हास्यास्पद है।

यह प्रश्न भी अनुत्तिरत ही रहा कि 25 सितंबर, 2025 को, जब 1 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी तो फिर जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं आया, उनके उनके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रथम एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को द्वितीय अपील करने का समय ही कहां बचेगा? दोनों ही अपीलों के लिए क्रमशः 15 और 30 दिन का समय नियमानुसार मिलता है। यह समयावधि पूरी होने से पूर्व ही 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। संभावना यह है कि उसी समय चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाए। ऐसा होते ही किसी भी न्यायालय का दखल संभव नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन मतदाताओं का नाम 30 सितंबर की मतदाता सूची में नहीं होगा, वे बिहार के विधानसभा चुनाव में मतदान करने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।

संक्षेप में हम यह भी कह सकते हैं कि इस प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग की छवि को खराब करने का ही काम किया है। अब तक तो लोग केवल चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने का संदेह ही कर रहे थे किंतु प्रेस कांफ्रेंस के बाद यह विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा है और सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रहा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने जब यह पूछा कि इतनी हड़बड़ी में एस आई आर क्यों किया जा रहा है, विशेषकर तब, जब कि बिहार में कई स्थानों पर बाढ़ है, तो खीज कर ज्ञानेश कुमार ने प्रश्न पूछ लिया कि एस आई आर चुनाव के पहले होना चाहिए या बाद में? वे प्रश्न को समझते हुए भी अनजान बने रहे। उन्होंने यह भी कहा कि 2003 में भी इंटेंसिव रिवीजन जुलाई के महीने में ही हुआ था। यह कहते समय वे यह भूल गए कि उस समय मतदाताओं से अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं मांगा गया गया था। इस कारण उन्हें सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े थे। इस बार ऐसा उन्हें करना पड रहा है, जो बिहार में बाढ़ की स्थिति के कारण लगभग असंभव प्रतीत होता है।

24 जून की विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने यह लिखा था कि अवैध रूप से भारत में रहने मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने का भी उद्देश्य है । यदि यह उद्देश्य था तो फिर एक पत्रकार के इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्यों नहीं दिया कि 1 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूचियों में जिन 65 लाख व्यक्तियों के नाम नहीं है, उनमें से बांग्लादेशी या नेपाली कितने हैं । हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि वह हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची, लोगों की जानकारी के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसमें नाम हटाने का कारण भी अंकित किया जाएगा। यही मांग सभी विरोधी दल कर रहे थे लेकिन अपनी हठधर्मिता के कारण चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा था। इस प्रकार की सूचना डिजिटल होगी अर्थात कोई भी व्यक्ति अपना एपिक कार्ड नंबर डालकर यह पता कर सकेगा कि उसका नाम वोटर लिस्ट में से क्यों काटा गया? वह आधार के साथ आवेदन करके अपना नाम पुनः जुड़वा सकेगा।

एस आई आर की अधिसूचना जारी करने से पहले राजनैतिक दलों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का यह उत्तर कि सभी दलों की यह मांग थी, उपयुक्त नहीं है। सबसे चर्चा के बाद ही प्रक्रिया प्रारंभ की जाती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। चुनाव आयोग ने एस आई आर को मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का नाम दिया है किंतु वास्तव में यह केवल नाम काटने की प्रक्रिया बनकर रह गया है । प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं तो कितने लोगों ने अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है । इसका कोई उत्तर ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश से 65 लाख हटाए गए व्यक्तियों के लिए आधार को वैध दस्तावेज मान लिया है। चुनाव आयोग ऐसा न करने के लिए अब तक अड़ा हुआ था। देखना यह है कि जिन 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में हैं उनमें से कितने लोगों के नाम बी एल ओ द्वारा 'नॉट रिकमेंडेड' लिखने के कारण हटा दिए जाएंगे। इस बारे में जब एक पत्रकार ने पूछा कि 'रेकमेंडेड' या 'नॉट रिकमेंडेड' लिखने का क्या मापदंड हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक के महादेवपुरा संसदीय क्षेत्र में हुई 'वोटो की चोरी' के संबंध में जो विस्तृत प्रजेंटेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, उसके बारे में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस देकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा। इसी प्रकार का शपथ पत्र भाजपा नेता अनुराग ठाकुर से न मांगने का कारण पूछने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी या तो एक सप्ताह में शपथ पत्र दें या देश से माफी मांगे । उनका इस प्रकार का वक्तव्य विशुद्ध राजनीतिक था जो एक संवैधानिक संस्था के मुखिया के लिए नितांत अनुचित था।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए किसी भी प्रश्न का कोई संतोषप्रद और स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। हम कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त केवल अपना एक तरफ भाषण ही देते रहे और वही बताया जो वह कहना चाह रहे थे और वह सब छुपाया जो वह छुपाना चाहते थे। सारांश में कहें, तो चुनाव आयोग ने जितना बताया उससे कहीं अधिक छुपाया और जो छुपाया वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण था ।

संक्षेप में हम यह भी कह सकते हैं कि इस प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग की छवि को खराब करने का ही काम किया है। अब तक तो लोग केवल चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने का संदेह ही कर रहे थे किंतु प्रेस कांफ्रेंस के बाद यह विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा है और सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रहा है।

अब देखना यह है कि आगामी तिथि 23 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय 7.24 करोड़ मतदाताओं के संबंध में क्या आदेश पारित करता है?

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

नॉन-वेज दूध

अशोक कुमार

नॉन-वेज दूध (Non-veg Milk) एक ऐसा शब्द है, जो उन गायों या अन्य दुधारू पशुओं के दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें खाने में मांसाहारी सामग्री दी जाती है। यह मुद्दा हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौतों के दौरान चर्चा में आया था।

नॉन-वेज दूध क्या है?

भारत में, गायों को शाकाहारी माना जाता है और उनके दूध को शुद्ध और सात्विक आहार के रूप में देखा जाता है। लेकिन अमेरिका और कुछ अन्य पश्चिमी देशों में, डेयरी गायों को अधिक दूध उत्पादन और वजन बढ़ाने के लिए खास तरह का चारा दिया जाता है। इस चारे को ब्लड मील या रेंडर्ड फीड कहते हैं, जिसमें जानवरों के खून, मांस और हड्डियों का चूरा मिला होता है।

चूंकि इस प्रक्रिया में गायों को मांसाहारी आहार खिलाया जाता है, इसलिए उनके दूध को भारत में नॉन-वेज दूध कहा गया है। यह दूध उन मांसाहारी जानवरों जैसे शेरनी या बिल्ली के दूध से अलग है, जिनकी दूध की संरचना पूरी तरह से मांसाहार पर आधारित होती है।

भारत में इसका विरोध क्यों हुआ?

भारत ने अमेरिका से ऐसे दूध और डेयरी उत्पादों का आयात करने से इनकार कर दिया है, जो मांसाहारी चारे पर पली गायों से प्राप्त होते हैं। इस विरोध के मुख्य कारण हैं:-

धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं: भारत में गाय को गौ माता माना जाता है और दूध का उपयोग पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में होता है। ऐसे में, मांसाहारी आहार पर पली गायों के दूध को स्वीकार करना सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ माना गया।

नैतिक कारण: कई लोग इसे जानवरों के प्रति क्रूरता और प्रकृति के नियम के विरुद्ध मानते हैं।

स्वच्छता और शुद्धता: भारत सरकार और खाद्य सुरक्षा नियामक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI), ने दूध की शुद्धता और शाकाहारियों के हितों की रक्षा के लिए इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है।

FSSAI के नियमों के अनुसार, भारत में बेचे जाने वाले सभी खाद्य उत्पादों पर स्पष्ट रूप से 'शाकाहारी' (हरा निशान) या 'मांसाहारी' (भूरा निशान) का लेबल होना अनिवार्य है। भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसे दूध को 'शाकाहारी' के रूप में नहीं मानती है और इसे आयात करने की अनुमति नहीं देगी।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

देश का विभाजन पहले साहित्य में, फिर धरातल पर हुआ था : मनोज कुमार

अखण्ड भारत स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में साहित्य परिषद जयपुर ईकाई द्वारा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंसेज के सभागार में परिचर्चा का आयोजन

■ अखण्ड भारत स्मृति दिवस के उपलक्ष में ''भारत विभाजन की विभीषिका पर निर्मित साहित्य परिचर्चा'' एवं विष्णु शर्मा ''हरिहर'' की दो पुस्तकों ''बोल री चिड़िया रानी'' एवं ''अच्छे लगते फूल'' के विमोचन किया गया

जयपुर। वंदेमातरम गीत के विभाजन को स्वीकार कर भारत विभाजन की नींव रख दी गई थी। देश का विभाजन बाद में हुआ, उससे पहले विचारों में विभाजन हो गया था परंतु विभाजन के जितने जिम्मेदार गांधी थे उतने ही जिम्मेदार अंग्रेज। तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्व एवं उस समय का समाज भी था। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में अंग्रेजों द्वारा स्थापित तीन संस्थाएं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी थी। पिछले पाँच-छह दशकों में भारत विभाजन के विषय पर पर्याप्त साहित्य एवं सभी विधाओं में सृजित हुआ है। प्रमुख रूप से इसके तीन प्रकार हैं, एक विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित, दूसरा विभाजन के दर्द एवं पीड़ा पर आधारित एवं तीसरा विस्थापितों की सुरक्षा, सेवा व अविभाजित भारत की संभावनाओं पर आज आवश्यकता है इस साहित्य को फिर से देखा जाए ,चर्चा की जाए है। उक्त बात अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सह संगठन मंत्री मनोज कुमार ने साहित्य परिषद जयपुर ईकाई द्वारा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंसेज के सभागार में आयोजित परिचर्चा में कही।

अखण्ड भारत स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ''भारत विभाजन की विभीषिका पर निर्मित साहित्य परिचर्चा'' एवं विष्णु शर्मा ''हरिहर'' की दो पुस्तकों ''बोल री चिड़िया रानी'' एवं ''अच्छे लगते फूल'' के विमोचन अवसर था। मनोज कुमार ने बताया कि विभाजन के साहित्य पर चर्चा रखने का उद्देश्य विभाजन की त्रासदी का स्मरण करने के साथ-साथ यह है। इस साहित्य को नई पीढ़ी के लिए फिर से उनकी भाषा में आज के संदर्भों सहित नए कलेवर में लिखा जाए। कार्यक्रम का शुभारंभ साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष एवं साहित्य परिक्रमा के संपादक इंदु शेखर एवं कोटा के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार विष्णु हरिहर ने माँ शारदा एवं माँ भारत के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलन कर किया। कार्यक्रम का संयोजन विकास तिवाड़ी द्वारा किया गया।

विभाजन विभीषिका पर आधारित 8 पुस्तकों पर परिचर्चा :- कार्यक्रम के प्रारंभ में भारत विभाजन की कारण मीमांसा व विभीषिका पर 8 पुस्तकों पर एक विषय केन्द्रित साहित्यिक चर्चा की गई। डॉ. ईश्वर बैरागी ने माणिक वाजपेयी व श्रीधर पराड़कर द्वारा लिखित ''ज्योति जला निज प्राण की'' पुस्तक पर बात करते हुए बताया कि इस पुस्तक में एक बार भी शरणार्थी शब्द का उपयोग नहीं हुआ है उसके स्थान पर विस्थापित शब्द काम में लिया गया है।

केशव शर्मा ने लेखक प्रशांत पोल द्वारा लिखित एवं प्रभात प्रकाशन की ''वे पंद्रह दिन'' पुस्तक पर चर्चा की, डॉ. इंदुशेखर तत्पुरूष ने डॉ. राममनोहर लोहिया द्वारा लिखित ''भारत विभाजन के गुनहगार'' एवं प्रो. ए एन बाली द्वारा लिखित पुस्तक '' विभाजन विभीषिका ..... जो बताना जरूरी है'' पर प्रकाश डाला एवं साहित्यकार सत्यनारायण शर्मा ने हो वे शेषाद्रि द्वारा लिखित ''....और देश बंट गया'' एवं गुरूदत्त द्वारा लिखित ''देश की हत्या'' उपन्यास, विष्णु शर्मा 'हरिहर' ने कृष्णानंद सागर द्वारा लिखित ''भारत विभाजन के कुछ अज्ञात तथ्य'', एवं डॉ विपिन चंद्र ने सदानंद सप्रे की अर्चना प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक अखंड भारत पर अपनी बात रखी। इस दौरान उपस्थित साहित्यकार एवं साहित्य अनुरागियों द्वारा विभाजन विषय पर निर्मित अनेक पुस्तकों एवं उनके लेखकों व प्रकाशकों के नाम के साथ उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

विष्णु शर्मा 'हरिहर' लिखित बाल साहित्य का विमोचन :- कार्यक्रम के दूसरे सत्र में श्री विष्णु शर्मा 'हरिहर की दो पुस्तकों ''बोल री चिड़िया रानी'' एवं ''अच्छे लगते फूल'' पुस्तक का विमोचन अभा साहित्य परिषद के सह संगठन मंत्री मनोज कुमार एवं साहित्य परिक्रमा के सम्पादक डॉ. इंदुशेखर तत्पुरूष द्वारा किया गया। यह दोनों पुस्तक बाल साहित्य हैं जिसमं पहली पुस्तक बोल री चिड़िया रानी बाल कुण्डलियों का संग्रह है। वहीं दूसरी पुस्तक अच्छे लगते फूल पुस्तक रोला बाला पहेली संग्रह है। उन्होंने अपने संबोधन में अपनी इन दोनों ही पुस्तकों के विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अल्का सक्सेना, संतोष यादव, रमा सिंह, लक्ष्मण सिंह, मुरारी, जितेन्द्र, केशव, डॉ. ओमप्रकाश, संजय, डॉ. ममता, डॉ. हरवीर सिंह, पुरूषोत्तम, डॉ. विपिनचंद्र, डॉ. अमित, डॉ. शुचि, याजवेन्द्र एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थियों सहित अनेक साहित्यकार एवं साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे।

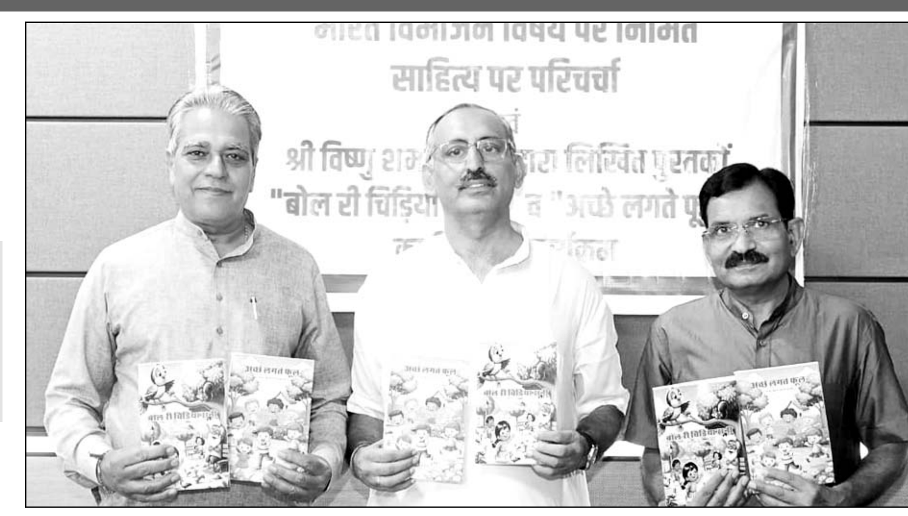

कार्यक्रम में अ. भा. साहित्य परिषद के सह संगठन मंत्री मनोज कुमार, साहित्य परिक्रमा के संपादक इंदु शेखर एवं कोटा के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार विष्णु हरिहर ने पुस्तकों का विमोचन किया।

स्टाफ की गुटबाजी से नाराज ग्रामीणों ने भूतौली विद्यालय के गेट पर ताला लगाया

हलैना/भरतपुर, (निसं)। गांव भूतौली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ की गुटबाजी से खफा होकर ग्रामीणों ने विद्यालय में समय पर आए स्टाफ तथा छात्र-छात्राओं को विद्यालय से बहार निकालकर विद्यालय के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया और नारेबाजी करते स्टाफ को खरी-खोटी सुनाई। तालाबंदी की भनक लगते ही शिक्षा विभाग और विद्यालय परिवार में खलबली मच गई। संस्था प्रधान रामखिलाड़ी मीणा ने तालाबन्दी की सूचना शिक्षा विभाग के आलाधिकारी और हलैना थाना को दी। सूचना प्राप्त होते ही वैर के सीबीईओ सजनी चौधरी ने एसीबीओ रामरतन गुर्जर के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर विद्यालय भेजी। वहीं हलैना पुलिस भी मौके पर पहुंची। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संस्था प्रधान की उपस्थिति में तालाबंदी करने वाले ग्रामीणों से दूरभाष पर वार्ता की और विद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें विद्यालय स्टाफ की गुटबाजी तथा विद्यालय स्टाफ के कुछ शिक्षक-शिक्षिकाओं के कहने पर तालाबन्दी का मामला उभर कर आया।

संस्था प्रधान रामखिलाड़ी मीणा ने बताया कि साल 2023 में हुए जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता और महिला वरिष्ठ शिक्षिका चंचल कुमारी व लिपिक जयसिंह हंसावत के मध्य एक बिल के भुगतान आदि को लेकर विद्यालय में गुटबाजी जारी थी। स्कूल के बच्चों को साल 2023 में हुए खेलकूद के प्रमाण पत्र भी नहीं मिले, जिससे बच्चे और उनके परिजन परेशान थे। मैं इस विद्यालय में 9 अप्रेल 2025 को आया और संस्था प्रधान का कार्यभार संभाला। उन्होंने बताया कि 18 अगस्त को प्रतिदिन की भांति सुबह करीब सवा सात बजे विद्यालय में मेरे अलावा अन्य स्टाफ सहित छात्र-छात्राओं ने प्रवेश किया। गांव के कुछ लोगों ने स्टाफ और छात्र-छात्राओं को विद्यालय से बहार निकालकर विद्यालय को ताला लगा दिया, जिसकी सूचना शिक्षा विभाग और पुलिस को दी। विभाग के एसीबीईओ रामरतन गुर्जर, राउमावि सरसैना के प्रधानाचार्य ओमप्रकाश महावर, राउमावि रायपुर के संस्था प्रधान निर्भय सिंह गुर्जर तथा हलैना पुलिस मौके पर आए, लेकिन इनके आने से पहले मेरी और सीबीईओ, एसीबीईओ की वार्ता पर ग्रामीणों ने तालाबंदी खोल दी।

इधर जांच को आए एसीबीई रामरतन गुर्जर ने बताया कि स्टाफ की गुटबाजी से खफा होकर ग्रामीणों ने विद्यालय का ताला लगा दिया। अब विद्यालय की गुटबाजी की जांच जारी है, जो भी शिक्षक-शिक्षिका दोषी साबित होगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी और कारण बताओं नोटिस थमाए जाऐंगे। जांच कमेटी के समक्ष ये भी मामला आया कि महिला वरिष्ठ शिक्षिका चंचल कुमारी और लिपिक जय सिंह हंसावत के मध्य पुस्तकालय के बिल के भुगतान को लेकर तनातनी जारी थी। लिपिक ने शिक्षिका को पुलिस द्वारा पाबंद करा रखा था। इधर ग्रामीणों का कहना था कि विद्यालय में लम्बे समय से स्टाफ में गुटबाजी जारी है,जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा था। साथ ही साल 2023 में हुए जिलास्तर के खेलकूद प्रतियोगिता के प्रमाण पत्र भी आज तक जारी नहीं हुए। सीबीईओ सजनी चौधरी ने बताया कि तबियत खराब होने के कारण आज अवकाश पर थी, राउमावि भूतौली के स्टाफ की गुटबाजी और तालाबन्दी की जांच जारी है, जिसको जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अवकाश से कार्यालय आने पर स्वयं विद्यालय पहुंच कर जांच की जाऐगी और दोषी स्टाफ को कारण बताओं नोटिस थमाए जाएंगे।

राशिफल मंगलवार 19 अगस्त, 2025

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 1:08 तक, वज्र योग रात्रि 8:30 तक, बालव करण दिन 3:53 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज यमघट योग सूर्योदय से रात्रि 1:08 तक, त्रिपुष्कर योग रात्रि 1:08 से सूर्योदय तक है। आज अजा एकादशी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:17 से 10:54 तक, लाभ-अमृत 10:54 से 2:07 तक, शुभ 3:44 से 5:20 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:04, सूर्यास्त 6:57

मेष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। अटके हुए कार्य बन सकते हैं।

वृष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में सफल रहेंगे। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

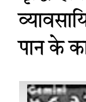

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

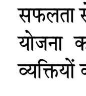

कर्क
व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

सिंह
आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित अड़चनें दूर होने लगेंगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

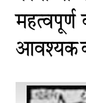

तुला
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

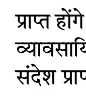

वृश्चिक
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

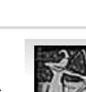

धनु
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

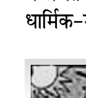

मकर
विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

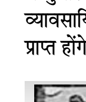

कुंभ
व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

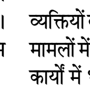

मीन
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।